# वित्त नियंत्रक के पद के लिए भर्ती सूचना

| | |
|---|---|
| प्रभाग का नाम | एनएचएम वित्त प्रभाग |
| किसको रिपोर्ट करेंगे | निदेशक (एनएचएम–वित्त) |
| पद का नाम | वित्त नियंत्रक |
| पदों की संख्या | एक |
| कार्य स्थल | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली |

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पूर्णतः संविदा आधार पर उपर्युक्त पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

## 1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन (अम्ब्रेला आर्गेनाइज़ेशन) है, जिसका उद्देश्य, प्राथमिक तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र जन स्वास्थ्य प्रदायगी प्रणाली उपलब्ध कराना है। एनएचएम के अधीन वित्त प्रबंध प्रणाली के कार्यान्वयन और निगरानी में सहायता करने के लिए पूर्णतः संविदा आधार पर तकनीकी सहायक के रूप में जन शक्ति सहयोग की आवश्यकता होती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एनएचएम वित्त प्रभाग के तहत कार्यरत वित्तीय प्रबंधन समूह (एफएमजी) के कार्यों में योजनाएं बनाना, बजट तैयार करना, लेखाकरण, वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक लेखा–परीक्षा, बाह्य लेखा–परीक्षा, खरीद, निधियों का वितरण सहित आंतरिक नियंत्रण करना और संसाधनों के कुशलतापूर्वक प्रबंध करने और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य के साथ कार्यक्रम के भौतिक और वित्तीय निष्पादन की निगरानी करनाा शामिल है। निर्णय लेने और कार्यक्रम की सफलता के लिए अच्छा वित्तीय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण इनपुट है। सटीक और समय पर वित्तीय जानकारी, कार्यक्रम, फंड अवमुक्ति के बारे में संसूचित निर्णयों का आधार प्रदान करती है और कार्यक्रम के सुचारु कार्यान्वयन के लिए देरी को कम करने में सहायता करती है। एफएमजी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि जीएफआर के सभी प्रावधानों और व्यय विभाग (डीओई) की शर्तों का पालन करने के उपरांत सभी कार्यक्रम समय पर अपने फंड प्राप्त करें। एनएचएम के तहत, भारत सरकार का प्रयास है कि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किए गए फंड के प्रबंधन के लिए प्रभावी वित्तीय प्रबंधन क्षमताओं का निर्माण किया जाए। राज्यों को भी प्रोत्साहित किया गया है कि वे राज्य में वित्तीय प्रबंधन समूह (एफएमजी) स्थापित करें और जिला स्तर पर वित्तीय प्रबंधन क्षमताओं को सुदृढ़ करें।

## 2. उद्देश्य

केंद्रीय स्तर पर वित्त नियंत्रक का कार्य आरसीएच फ्लेक्सीपूल, एचएसएस, एनसीडी, एनयूएचएम और एनडीसीपी सहित एनएचएम के तहत फंड के प्रबंध की निगरानी करना और फंड जारी करने, व्यय, एफएमआर, एसएफपी, खर्च नहीं हुई धनराशियों, सांविधिक लेखा–परीक्षा, समवर्ती लेखा–परीक्षा, पीएफएमएस, ई–बैंकिंग, उपभोग प्रमाण पत्र, फील्ड समीक्षा दौरे और उनपर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई पर नज़र रखना है।

## 3. कार्य का विवरण

**प्रमुख दायित्वः**

(i) आवंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्तीय विश्लेषक और वित्त सहायकों वाली टीम का पर्यवेक्षण, निगरानी, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करना।

(ii) राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के लिए ई–बैंकिंग व्यवस्था का कार्यान्वयन करना और अनुकूलित टैली का कार्यान्वयन करना।

(iii) विकास भागीदारों के साथ समन्वय करना, पात्र व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावों को तैयार करना, और उन्हें प्रस्तुत करना।

(iv) ई–बैंकिंग डेटा की सहायता से वित्तीय एमआईएस और समानांतर कार्यक्रम प्रबंध की वस्तु–स्थिति तैयार करना और राज्यों की मैन्युअल रिपोर्ट के साथ इसका मिलान करना।

(v) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्रालय के एचएमआईएस पोर्टल पर वित्तीय जानकारी अपलोड करना।

(vi) फंडों के आबंटन, अवमुक्ति और उपयोग आदि के समेकन के लिए रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ समन्वय करना।

(vii) एनडीसीपी, निगरानी, समीक्षा, विश्लेषण, लेखापरीक्षा और भारत सरकार के प्रेक्षणों के अनुपालन और विकास भागीदारों को समय पर लेखा–परीक्षा रिपोर्टें जमा करने सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सांविधिक लेखा–परीक्षा की व्यवस्था करना।

(viii) समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समवर्ती लेखा–परीक्षा की निगरानी और कार्यान्वयन करना, मासिक रिपोर्टें प्राप्त करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

(ix) राज्यों और एनआईएचएफडब्ल्यू में राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर के वित्त और लेखा कर्मचारियों के लिए समय–समय पर क्षमता निर्माण करना और एनआरएचएम के लिए समग्र रूप से एक सामान्य वित्त और लेखा मैनुअल तैयार करना।

(x) समय–समय पर पीएफएमएस का प्रशिक्षण प्रदान करने सहित राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर पीएफएमएस के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

अन्य दायित्वः

(i) एनआरएचएम के तहत सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फंड जारी करने के लिए अवमुक्ति, व्यय और शेष राशि की निगरानी करना।

(ii) एफएमआर की समय पर प्राप्ति और विश्लेषण, फंड स्थिति के ब्यौरों की निगरानी करना, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एनआरएचएम कार्यक्रमों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का मिलान करना।

(iii) सभी वित्त, लेखा और लेखा–परीक्षा मामलों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना और आवंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फीडबैक देना।

(iv) समय–समय पर संसदीय प्रश्नों/समितियों, सूचना का अधिकार, वीआईपी संदर्भ, सीएजी और डीजीएसीई लेखा–परीक्षाओं इत्यदि संबंधी सूचना और डेटा सहयोग उपलब्ध कराना।

(v) एनएचएम के तहत राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर वित्तीय निष्पादन सूचकों और वित्तीय और लेखा प्रक्रियाओं के अभिसरण की निगरानी करना।

(vi) वित्तीय प्रबंधन निष्पादन समीक्षा, वित्तीय अध्ययन और सुधार के लिए सिफारिशों सहित वस्तु–स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का संयुक्त टीम दौरा करना। जेआरएम, सीआरएम और उनकी सिफारिशों के कार्यान्वयन में भागीदारी करना।

(vii) एनएचएम के तहत निधि जारी करने के लिए केंद्रीय योजना योजना निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) का कार्यान्वयन करना।

(viii) आवंटित राज्यों के वार्षिक पीआईपी का मूल्यांकन करना, नोडल अधिकारियों को मसौदा/अंतिम टिप्पणियां प्रदान करना और एनपीसीसी के विचार–विमर्श में भाग लेना।

**4. परिणाम**

सभी कार्यों और दायित्वों पर समय से कार्रवाई और प्रत्येक तिमाही के अंत में निदेशक (एनएचएम–वित्त) को की गई कार्रवाई और प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

**5. शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव**

अधिमानतः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से एमबीए (वित्त) या पीजीडीबीएम/पीजीडीबीए (वित्त)।

अधिमानतः सामाजिक क्षेत्र में 3–4 वर्ष के अनुभव के साथ न्यूनतम 6+ वर्षों का अनुभव। वित्तीय प्रबंधन संचालन अनुसंधान, प्रणाली विश्लेषण, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सरकारी लेखांकन, निधि प्रवाह प्रबंधन, उपयोग प्रमाण पत्र और सरकार में योजनावार व्यय रिपोर्टिंग का अनुभव और लेखांकन पैकेज तैयार करने को अतिरिक्त योग्यता माना जाएगा। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का अनुभव और टैली लेखा पैकेज, एमएस–ऑफिस, एमएस–वर्ड, एमएस–पावर प्वाइंट का ज्ञान वांछनीय होगा।

**वित्त नियंत्रक (लेखा–परीक्षा) के लिए अतिरिक्त योग्यताः**

सामाजिक क्षेत्र में पर्यवेक्षक स्तर पर लेखा–परीक्षा में पर्याप्त अनुभव अनिवार्य होगा। इस अनुभव में गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ), राज्य और जिला स्तर पर समाज की लेखा–परीक्षा शामिल होनी चाहिए, जो प्राथमिक रूप से सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं, यथा–पीएफएमएस के कार्यान्वयन से जुड़े हैं।

**6. आयु**

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए।

**7. यात्रा और निर्वाह**

परामर्शदाता राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव स्तरों पर बड़े पैमाने पर यात्रा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी यात्राओं को निदेशक (एनएचएम–वित्त) द्वारा अग्रिम रूप से प्राधिकृत किया जाएगा। यात्रा के दौरान, परामर्शदाता को भारत सरकार के नियमों के अनुसार एक नियत यात्रा/आवास खर्च के लिए दैनिक भत्ता प्राप्त होगा।

**8. रिपोर्टिंग जरूरतें**

परामर्शदाता प्रत्येक तिमाही के अंत में निदेशक (एनएचएम–वित्त) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

**9. परामर्श अवधि**

आरंभ में संविदा 31 मार्च, 2019 तक होगी। तथापि संतोषजनक प्रदर्शन की स्थिति में, परामर्श आगे एक वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा। संतोषजनक प्रदर्शन की स्थिति में संविदा को आगे पूर्णतः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के विवेक से बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, दोनों पक्षों द्वारा लिखित में एक महीने का नोटिस देकर परामर्श को निरस्त किया जा सकता है।

**10. पारिश्रमिक**

परामर्शदाता को उनकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर भारत सरकार, विकास भागीदार और अन्य नामित विषय विशेषज्ञों के संयुक्त चयन मंडल के निर्णयानुसार **90,000/– रु. से 1,50,000/– रु. प्रति माह** तक समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। इस उद्देश्य हेतु खुले विज्ञापन के समय मौजूद शर्तों के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की चयन/समीक्षा समिति द्वारा पारिश्रमिक का निर्णय लिया जाएगा।

परामर्शदाता, परामर्श करार में स्पष्ट रूप से उपलब्ध लाभों के अलावा किसी अन्य लाभ, भुगतान, सब्सिडी, मुआवजा या पेंशन का हकदार नहीं होगा। परामर्शदाता को कराधान से कोई छूट नहीं दी जाएगी और वह प्राप्त पारिश्रमिक पर मौजूदा नियमों के अनुसार लगाए गए किसी भी कर की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

**आवेदन करने के लिए:**

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे एनएचएसआरसी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए भर्ती हेतु सूचना के साथ संलग्न आवेदन पत्र को डाउनलोड कर विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को **7-Dec-2018** तक nhm.recruitments@gmail.com पर ई–मेल कर दें। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र पर आवेदन किए गए पद का उल्लेख किया गया है, अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।